भारत सरकार
कारपोरेट कार्य मंत्रालय
लोकसभा
अतारांकित प्रश्न संख्या. 2574

(सोमवार, 9 मार्च, 2026/18 फाल्गुन, 1947 (शक) को उत्तर के लिए)

महाराष्ट्र में सीएसआर निधि का उपयोग

2574. श्री बलवंत बसवंत वानखडेः

क्या **कारपोरेट कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) निधि का उपयोग ग्रामीण क्षेत्रों, विशेषकर शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल और महिला सशक्तिकरण जैसे क्षेत्रों में किया जा रहा है और यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या निगरानी तंत्र स्थापित किया गया है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) विगत पांच वर्षों के दौरान महाराष्ट्र राज्य में जिला-वार, विशेषकर अमरावती लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण, खेल, जल संरक्षण और ग्रामीण विकास क्षेत्रों के लिए विभिन्न कंपनियों/औद्योगिक इकाइयों द्वारा आवंटित और वास्तव में खर्च की गई सीएसआर निधि की राशि कितनी है;

(ग) क्या उक्त निर्वाचन क्षेत्र को आवंटित सीएसआर निधि का पूर्ण उपयोग कर लिया गया है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या यह सुनिश्चित करने के लिए भी कोई तंत्र मौजूद है कि स्थानीय औद्योगिक इकाइयों द्वारा सृजित कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) निधि को उसी राज्य में सामाजिक विकास पर खर्च किया जाए और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री।
(श्री हर्ष मल्होत्रा)

(क) कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') के तहत, सीएसआर एक बोर्ड संचालित प्रक्रिया है और कंपनी का बोर्ड अपनी सीएसआर समिति की सिफारिशों के आधार पर कंपनी की सीएसआर कार्यकलापों की योजना बनाने, उन पर निर्णय लेने, उनका निष्पादन करने और उनकी निगरानी करने के लिए अधिकृत है। यह समिति सीएसआर नीति तैयार करती है और उसकी सिफारिश करती है, जिसमें अनुसूची VII में निर्दिष्ट क्षेत्रों या विषयों के अनुरूप कंपनी द्वारा किए जाने वाले कार्यकलापों की रूपरेखा दी गई है।

सीएसआर समिति के गठन, सीएसआर नीति के निर्माण, सीएसआर पर वार्षिक कार्ययोजना, मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) द्वारा सीएसआर व्यय का प्रमाणीकरण तथा सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा सीएसआर व्यय के लेखा परीक्षण आदि से संबंधित विद्यमान विधिक प्रावधान निगरानी, पारदर्शिता तथा जवाबदेही सुनिश्चित करने की व्यवस्थाएँ हैं।

(ख) और (ग) मंत्रालय संसदीय निर्वाचन क्षेत्रवार सीएसआर डाटा केंद्रीकृत रूप से नहीं रखता है। सीएसआर डाटा जिलावार रखा जाता है। वित्तीय वर्ष 2019-20 से 2023-24 के दौरान महाराष्ट्र में विकास क्षेत्रवार और जिलावार सीएसआर व्यय का विवरण क्रमशः अनुलग्नक-I और II में संलग्न है।

(घ): अधिनियम की धारा 135 (5) का पहला परंतुक यह प्रावधान करता है कि कंपनी को अपने परिचालन क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों को प्राथमिकता देनी होगी। तथापि, स्थानीय क्षेत्र पर जोर केवल निर्देशात्मक है, इसका स्वरूप अनिवार्य प्रकृति का नहीं है तथा कंपनियों को स्थानीय क्षेत्र की प्राथमिकता और राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के बीच संतुलन बनाए रखना होगा

*****

□□□□□□□□□-I

□□□□□□ **09.03.2026** □□ □□□□□ □□ □□□ □□□ □□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□ □□. **2574** □□ □□□ **(□)** □□ □□□□□□□□□

वित्तीय वर्ष 2019-20 □□ **वित्तीय वर्ष 2023-24** □□ □□□□□□□□□□ □□□ □□□□□ □□□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□

(□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□)

क्र.सं.	□□□□□ □□□□□□□□	□□□□□□□ □ □□□□ 2019-20	□□□□□□□ □ □□□□ 2020-21	वित्तीय वर्ष 2021-22	□□□□□□□ □ □□□□ 2022-23	वित्तीय वर्ष 2023-24

1	[illegible]	2.38	2.97	5.66	5.84	13.21
2	[illegible]	12.03	14.45	23.91	73.86	96.14
3	[illegible], [illegible], [illegible]/[illegible]	2.94	1.28	4.43	8.13	5.87
4	[illegible]	18.72	18.31	27.80	64.49	92.08
5	[illegible]	22.24	10.44	43.45	77.57	92.68
6	शिक्षा	1,216.76	1,460.21	1,321.13	1,730.31	2,274.21
7	[illegible]	171.87	150.99	336.48	308.52	331.71
8	[illegible]	18.28	9.02	17.17	34.15	30.63
9	[illegible]	1,072.17	1,154.48	1,882.38	2,099.97	1,806.98
10	[illegible]	113.25	125.30	203.59	348.18	299.89
11	[illegible], [illegible], [illegible]	138.76	144.72	828.96	204.65	201.61
12	[illegible]	147.36	117.52	318.14	230.07	202.54
13	[illegible]	28.25	15.81	23.16	25.71	27.50
14	[illegible]	46.17	25.82	42.47	39.09	62.59
15	[illegible]	4.62	9.04	13.16	25.90	22.37
16	[illegible]	21.38	8.06	24.48	8.37	5.30
17	[illegible]	1.37	4.85	6.79	11.97	9.14
18	[illegible]	3.37	5.85	2.93	5.37	3.16
19	[illegible]-[illegible]	41.46	16.98	23.71	32.31	65.86
20	[illegible]	16.15	30.40	47.24	68.15	72.58
21	[illegible]	18.59	20.75	2.42	0.06	0.17
22	[illegible]	45.45	16.51	55.18	72.56	80.97
23	[illegible]	131.35	53.85	106.44	152.14	188.11
24	[illegible]	40.04	42.41	46.32	78.15	69.04
25	[illegible]/[illegible]*	18.28	4.77	-	0.02	11.60
	[illegible]	3,353.24	3,464.81	5,407.40	5,705.54	6,065.95

(31.03.2025 [illegible]) ([illegible]: कारपोरेट डाटा प्रबंधन प्रकोष्ठ)

* [illegible]

*****

[illegible] 09.03.2026 [illegible] [illegible]. 2574 [illegible] ([illegible]) [illegible]

वित्तीय वर्ष 2019-20 [illegible] वित्तीय वर्ष 2023-24 [illegible]-[illegible] [illegible]

([illegible])

क्र.सं.	जिला	[illegible] 2019-20	[illegible] 2020-21	[illegible] 2021-22	[illegible] 2022-23	[illegible] 2023-24
1	[illegible] ([illegible])	10.64	33.08	31.83	51.04	66.47
2	[illegible]	1.50	0.55	2.43	2.59	2.32
3	[illegible]	10.51	2.75	8.93	20.83	15.51
4	[illegible] [illegible] ([illegible])	66.69	73.46	96.05	129.14	123.87
5	[illegible]	3.13	2.70	11.34	16.21	13.96
6	[illegible]	4.98	4.16	2.25	5.05	5.09
7	[illegible]	2.31	1.33	23.71	3.37	9.34
8	[illegible]	3.55	6.24	22.36	34.85	27.94
9	[illegible]	2.66	7.37	12.88	26.19	33.05
10	[illegible]	8.90	7.20	5.03	10.64	14.91
11	[illegible]	1.38	9.32	18.32	14.55	70.15
12	[illegible]	5.76	0.44	1.13	0.41	8.60
13	[illegible]	0.13	0.88	2.63	2.31	5.34
14	[illegible]	0.89	4.34	16.36	27.59	28.03
15	[illegible]	6.19	8.48	14.14	21.43	19.99
16	[illegible]	10.67	16.21	16.48	17.56	32.36
17	[illegible]	2.56	4.04	8.10	18.69	15.21
18	[illegible] [illegible]	276.83	394.15	2980.22	2861.07	2814.46
19	[illegible] [illegible]	21.13	7.86	3.05	5.73	1.99
20	[illegible]	54.68	37.91	189.80	172.86	160.63
21	[illegible]	0.24	2.63	6.76	8.15	9.92
22	[illegible]	8.71	23.27	24.92	30.37	35.66
23	[illegible]	38.39	74.51	76.75	130.58	126.87
24	[illegible]	23.46	24.86	6.20	5.10	5.86
25	[illegible]	0.15	0.39	1.38	3.64	3.40
26	[illegible]	324.92	392.59	694.62	1096.34	1135.14
27	[illegible]	37.89	144.17	272.04	326.29	243.61
28	[illegible]	21.58	20.14	15.69	44.66	70.21
29	[illegible]	3.41	3.90	11.47	18.06	13.57
30	[illegible]	12.79	20.07	40.12	67.71	69.64
31	[illegible]	2.02	2.92	2.34	6.37	5.40
32	[illegible]	23.06	14.49	12.04	26.83	57.60
33	[illegible]	242.46	75.90	176.76	214.01	302.68
34	[illegible]	3.57	6.70	27.70	24.03	23.34
35	[illegible]	0.48	1.87	7.02	5.00	1.84
36	[illegible]	3.05	5.44	7.75	9.59	12.86
37	[illegible] जो अन्यत्र [illegible] [illegible] किए गए हैं	2111.97	2028.48	556.80	246.71	479.15
	[illegible]	3353.24	3464.81	5407.40	5705.54	6065.95

(31.03.2025 [illegible]) ([illegible]: कारपोरेट डाटा प्रबंधन प्रकोष्ठ)

*****